न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

T.A No. 41/2016

(Arised out T.S Case-42/2003)

आदेश

15.12.2025 उत्तरवादी (रेसपाण्डेंट) के आवेदन दिनांक 25.08.2025 अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सिविल प्रक्रिया संहिता एवं उस पर अपीलकर्ता के प्रतियुत्तर दिनांक 01.09.2025 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आवेदन दिनांक 25.08.2025 को प्रचालित करते हुये निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील झारी गोप के जमीन के सम्बन्ध में है जो कि अपने विधवा केसिया देवी एवं एक पुत्र ननकू यादव एवं एक पुत्री रू खीया देवी को छोड़कर स्वर्गवासी हुये। स्व0 झारी गोप के पास आठ एकड़ 32 डिसमिल तथा 5 एकड़ 27 पूर्णांक 1/2 जमीन थी और झारी गोप के मृत्यु के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारीगण उक्त जमीन के दखल में आये। यह कि स्वर्गीय ननकू यादव 5 एकड़ 27 पूर्णांक 1/2 डिसमील जमीन बेचा तथा केसिया देवी ने भी अपना हिस्सा चार एकड़ 16 डिसमील जमीन इस उत्तरवादी को बेचा। विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिवादी का केस यह था कि नन्हकू यादव ने भूमि को अपने विधिक आवश्यकता तथा पुत्री रूखीया देवी के विवाह के खर्च हेतु बेचा था। प्रस्तुत अपील में अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि रूखीया देवी स्वत्व वाद संख्या 42/03 में आवश्यक पक्षकार थी परन्तु विचारण न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया।

विचारण न्यायालय में भूलवश रूखीया देवी को पक्षकार बनाना छूट गया। यह कि केसिया देवी की पुत्री इस केस में एक आवश्यक पक्षकार है उसके पक्षकार बने बिना इस मामले पर प्रभावपूर्ण निष्पादन नहीं किया जा सकता। अतः निवेदन करते हैं कि रूखीया देवी पुत्री झारी गोप पत्नी डोमन यादव को इस वाद में पक्षकार बनाया जाय। उत्तरवादी का आवेदन शपथपत्र से समर्पित है।

अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने अपने प्रतियुत्तर को प्रचालित कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि ननकू यादव ने 5.27 एकड़ जमीन बेचा है जबकि वादी/उत्तरवादी अपने अभिवचन में लिखा है कि झारी गोप को 8.32 एकड़ जमीन खाता नं0 208 में है। यह कि दिनांक 25.08.25 को आदेश 01 नियम 10(2) के अन्तर्गत आवेदन दाखिल कर वादी/उत्तरवादी ने रूखीया देवी पुत्री झारी गोप और केसिया के अस्तीत्व को स्वीकार किया है। आदेश 01 नियम 10(2) का आवेदन केवल वाद में दाखिल किया जा सकता है जबकि यह आवेदन वादी/उत्तरवादी द्वारा विचारण न्यायालय में दाखिल नहीं कर इस अपीलवाद में दाखिल किया गया है। ननकू यादव का यह धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य था की वह अपनी बहन का विवाह करते और उक्त विवाह में हुये खर्चे का वहन करते। जबकि

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

T.A No. 41/2016

(Arised out T.S Case-42/2003)

15.12.2025

—लगातार—

प्रतिवादी/अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में रूखीया देवी को पक्षकार नहीं बनाने के सम्बन्ध में अभिवचन दिनांक 15.02.06 को ही किया था। अतः वादी/उत्तरवादी का आवेदन दिनांक 25.08.2025 विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा इसे खारिज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अपील वाद के अभिलेख एवं स्वत्व वाद संख्या 42/2003 का अवलोकन किया जिससे कि प्रस्तुत अपील उत्पन्न हुआ है, चूंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि भामा देवी उर्फ लुखिया देवी उर्फ माया देवी उर्फ रूखिया देवी स्वर्गीय झारी यादव एवं उनकी पत्नी केसिया देवी की पुत्री है तथा ननकू यादव भी स्वर्गीय झारी यादव एवं उनकी पत्नी केसिया देवी के पुत्र हैं। परन्तु स्वत्व वाद संख्या 42/03 में रूखीया देवी उर्फ भामा देवी उर्फ लुखिया देवी उर्फ माया देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि स्व0 झारी यादव के मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारियों का संयुक्त रूप से स्व0 झारी यादव की संपत्ति पर स्वत्व एवं दखल कब्जा हुआ, चूंकि ननकू यादव एवं रूखीया देवी उर्फ भामा देवी स्व0 झारी यादव के पुत्र एवं पुत्री हैं। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सहदायकी विधि के अनुसार वर्तमान में रूखीया देवी उर्फ भामा देवी उर्फ लुखिया देवी तथा ननकू यादव सहदायकी के सदस्य हैं। सहदायकी की विधि के अनुसार सहदायकी संपत्ति में सहदायिक सदस्यों का हिस्सा जन्म से ही होता है। रूखीया देवी उर्फ भामा देवी उर्फ लुखिया देवी स्वत्व वाद संख्या 42/03 में आवश्यक पक्षकार हैं जबकि विचारण न्यायालय में उसे स्वत्व वाद संख्या 42/03 में पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा रेन्सपान्डेट का यह कथन तर्क संगत नहीं लगता कि अपीलवाद में आदेश 01 नियम 10(2) लागू नहीं होगा क्योंकि यह वाद के लिए है। वास्तव में अपील वाद विचारण वाद के निरंतरता में माना जाता है (Appeal is Continuation of the Suit)। रूखीया देवी उर्फ भामा देवी उर्फ लुखिया देवी के द्वारा इस अपील न्यायालय में प्रस्तुत होकर दिनांक 09.10.25 को एक शपथपत्र दिया गया है। अपने शपथपत्र में उसने कहा है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मेरा आधार संख्या 313062607804 है। यह कि न्यायालय द्वारा दिवानी अपील संख्या 41/2016 में बहस के दौरान अपीलार्थी को न्यायालय के द्वारा मौखिक आदेश पर मुझे सदेह वकालतनामा के साथ हाजिर कराने के निर्देश पर हाजिर हुयी हूँ। यह कि उपरोक्त आदेश के आलोक में मैं यह शपथ पत्र स्वेच्छा से दाखिल कर रहा हूँ। मैं इस अपील में पक्षकार नहीं हूँ तथा निम्न न्यायालय में मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया था। यह कि इस वाद के तकरारी जमीन में मेरा भी हिस्सा है तथा मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। यह कि शपथ पत्र में लिखी गयी

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

T.A No. 41/2016

(Arised out T.S Case-42/2003)

15.12.2025
—लगातार—

उपरोक्त सारी बातें स्वेच्छा से लिखवायी हूँ। यह कि शपथ पत्र में लिखी गई सारी बातें मेरी जानकारी में सत्य है इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में उत्तरवादी का आवेदन आदेश 01 नियम 10(2) को न्याय हित में स्वीकृत करते हुये भामा देवी उर्फ लुखिया देवी उर्फ माया देवी उर्फ रूखिया देवी पुत्री स्व0 झारी गोप तथा पत्नी डोमन यादव उम्र 70 वर्ष, साकिन भीठरा थाना सोनो, जिला जमुई को प्रस्तुत अपील वाद में उत्तरवादी तथा स्वत्व वाद संख्या 42/23 में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया जाता है। सम्बन्धित पक्षकार नियत समय सीमा के अन्तर्गत पक्षकार बनावे।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई।